शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

पूजा सिंघल, भा॰प्र॰से॰
राज्य परियोजना निदेशक

न्यू कॉपरेटिव बिल्डिंग, श्यामली कॉलोनी, डोरण्डा, राँची – 834 024
दूरभाष : 0651-2410509 / 2410519 / 2412028 / फैक्स : 0651 – 2410528

पत्रांक: GE/8/69/2011-12/ 755 दिनांक : 22.4.14

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
झारखण्ड शिक्षा परियोजना
झारखण्ड ।

विषय: कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय के बालिकाओं के नामांकन के संबंध में ।

महाशय,

प्रायः ऐसी सूचना मिल रही है कि जिलों द्वारा नामांकन में अलग-अलग प्रक्रिया अपनायी जा रही है। कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयों के राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रतिवेदन में भी यह उजागर हुआ है कि कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन हेतु विद्यालय द्वारा आवेदन मंगाए जाते हैं जिससे कि विद्यालय से बाहर या छिजीत बालिकाओं के नामांकन पर उद्देश्य केन्द्रीत नहीं हो पाता है । राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन से संबंधित निर्देश पूर्व में पत्रांक JEPC/SPD/966 दिनांक 06.08.2005, WDP/8/16/2005/388 दिनांक 15.05.2008 द्वारा निर्गत किए गए हैं । उक्त के आलोक में बालिकाओं के नामांकन में निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना अवश्यक है :-

1. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु बालिकाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षित सीट का बँटवारा निम्नवत् है –

क्र.सं.	सामाजिक कोटि	बालिकाओं की संख्या
1	अनुसूचित जनजाति	प्रखण्ड का अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या प्रतिशत
2	अनुसूचित जाति	प्रखण्ड का अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत
3	पिछड़ा वर्ग	प्रखण्ड का पिछड़ा वर्ग का जनसंख्या प्रतिशत
4	अल्पसंख्यक (मुस्लिम)	प्रखण्ड का अल्पसंख्यक (मुस्लिम) का जनसंख्या प्रतिशत

शेष 25 प्रतिशत सीट गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवार से होंगे ।

2. बालिकाओं के चयन हेतु संबंधित प्रखण्ड के सभी माता समितियों की बैठक संबंधित विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी जिसमें उन्हें कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना की जानकारी दी जाएगी और बैठक के उद्देश्य से अवगत कराया जाएगा ।
3. माता समिति कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन हेतु बालिकाओं की सूची बाल/शिशु पंजी से प्राप्त कर या यदि उन्हें अनामांकित/छिजीत बालिका की जानकारी है तो सम्मिलित करते हुए अनुसंशित सूची जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायी जाएगी ।
4. कस्तूरवा गाँधी बालिका विद्यालयों में नामांकन हेतु जिला स्तर पर एक चयन समिति गठित है जिसके सदस्य निम्नवत् होते है –
   - उपयुक्त-सह- अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी
   - राज्य परियोजना निदेशक के प्रतिनिधि

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
पूजा सिंघल, भा॰प्र॰से॰
राज्य परियोजना निदेशक

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
न्यू कॉपरेटिव बिल्डिंग, श्यामली कॉलोनी, डोरण्डा, राँची – 834 024
दूरभाष : 0651-2410509 / 2410519 / 2412028 / फैक्स : 0651 – 2410528

- जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी उक्त समिति की बैठक आयोजित कर नामांकन सूची पर समिति का अनुमोदन प्राप्त करेंगे एवं तत्पश्चात् नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी ।

5. संबंधित अभिभावकों को पत्र के माध्यम से चयन की सूचना देते हुए एक सप्ताह के भीतर नामांकन करा लेने का अनुरोध पत्र दिया जाएगा । चयन सूची विद्यालय के सूचना–पट्ट पर भी पदर्शित की जाएगी ।
6. किसी कारणवश यदि स्थान रिक्त रह जाता है तो उपायुक्त द्वारा अनुमोदित पैनल से वरीयता क्रम में नामांकन किया जाएगा ।
7. नामांकन हेतु प्रखण्ड के उन बालिकाओं को प्राथमिकता दिया जाना है जो सुदूरवर्त्ती एवं दुर्गम क्षेत्र में निवास करते हैं । प्रखण्ड के नजदीक पंचायत में रहने वाली बालिकाएँ प्राथमिकता के क्रम में अन्तिम में होगी । साथ ही छिजित बालिकाओं एवं सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाये ।
8. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन हेतु किसी भी प्रकार की प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं करना है एवं नामांकन हेतु बालिका से Transfer Certificate (TC) अनिवार्य नहीं होगी । नामांकन के समय प्रखण्ड का आवसीय प्रमाण पत्र जरूरी होगा । जाति प्रमाण पत्र उन्हीं मामले में जरूरी होगा जहाँ बालिका के नाम से उसके जाति का पता न चलता हो ।

इस संदर्भ में विशेष रूप से सूचित करना है कि प्रखण्ड के सभी विद्यालयों में बाल पंजी का संधारण किया जाता है, जिसमें विद्यालय से बाहर की बालिकाओं तथा छिजित बालिकाओं की सूची होती है । सहजता स्वरूप उक्त बाल पंजी में सूचीबद्ध 11 से 14 आयुवर्ग की बालिकाओं का कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन सामाजिक कोटि में सीट का बँटवारा के आलोक में किया जा सकता है । इसके लिए प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय की वार्डेन, नजदीकी दो सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक तथा कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्यों की एक कमिटि का गठन किया जाए । यह कमिटि बाल पंजी के आलोक में सामाजिक कोटिवार रिक्ति के अनुसार बालिकाओं के नामांकन हेतु सूची अनुशंसित करेगा ।

नामांकन हेतु उक्त चरणबद्ध कार्रवाई तिथिवार निम्नवत् रूप से सुनिश्चित किया जाएगा ताकि छात्राओं का शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में कस्तुरबा विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित किया जा सकें –

क्र0	नामांकन हेतु गतिविधि	निर्धारित तिथि/अवधि
01	विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में माता समिति के सदस्यों की बैठक	प्रत्येक वर्ष 25-30 जनवरी आयोजित किया जाएगा ।
02	माता समिति द्वारा अनुशंसित बालिकाओं की सूची प्रधान शिक्षक के हस्ताक्षर सहित प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को उपलब्ध कराने की तिथि ।	प्रत्येक वर्ष 5-10 फरवरी के बीच ।
03	प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, संबंधित कस्तुरबा विद्यालय के वार्डेन एवं कस्तुरबा गांधी	प्रत्येक वर्ष 11-15 फरवरी के बीच ।

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

पूजा सिंघल, भा०प्र०से०
राज्य परियोजना निदेशक

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
न्यू कॉपरेटिव बिल्डिंग, श्यामली कॉलोनी, डोरण्डा, राँची – 834 024
दूरभाष : 0651–2410509 / 2410519 / 2412028 / फैक्स : 0651 – 2410528

	विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्षा ।	
04	कस्तुरबा विद्यालय के वार्डेन द्वारा सूची जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा ।	प्रत्येक वर्ष 16–17 फरवरी के बीच ।
05	उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला चयन समिति की बैठक का आयोजन ।	प्रत्येक वर्ष 18–25 फरवरी के बीच ।
06	जिला चयन समिति द्वारा अनुशंसित सूची संबंधित कस्तुरबा विद्यालय को हस्तगत करने की तिथि ।	प्रत्येक वर्ष 1–5 मार्च के बीच ।
07	संबंधित कस्तुरबा विद्यालय के सूचना पट पर नामांकन हेतु अनुमोदित चयन सूची का प्रकाशन ।	प्रत्येक वर्ष 9 मार्च ।
08	संबंधित कस्तुरबा विद्यालय के वार्डेन के द्वारा चयनित बालिका के अभिभावक को आमंत्रित करना एवं घोषणा पत्र प्राप्त करना ।	प्रत्येक वर्ष 10–20 मार्च के बीच ।
09	कस्तुरबा विद्यालय में नामांकन की अवधि ।	प्रत्येक वर्ष 21–25 मार्च के बीच ।
10	नवनामांकित छात्राओं का विद्यालय में समारोह आयेजित कर स्वागत ।	प्रत्येक वर्ष 27 मार्च ।
11	नवनामांकित छात्राओं को छात्रावास आवंटन एवं नये सत्र के लिए उन्मुखिकरण ।	प्रत्येक वर्ष 28–30 मार्च के बीच ।
12	शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ ।	प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल ।

चूंकि चालू शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है अतः 2014–15 में नामांकन उक्त कार्यक्रम के अनुसार नहीं किया जा सकता है । जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार चालू सत्र (2014–15) में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है तथा जिस किसी कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय में यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पायी हो तो इसे अनिवार्य रुप से 30.04.2014 तक पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए ।

उपरोक्त के आलोक में कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित किया जाए ।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(पूजा सिंघल)
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांकः GE/8/16/2011-12/ 755 दिनांक 22.5.15

प्रतिलिपिः
1. सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी समिति, सर्व शिक्षा अभियान, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित
2. सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
3. सभी वार्डेन, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय / सभी संबंधित प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(पूजा सिंघल)
राज्य परियोजना निदेशक